लाभा

बनाम

उत्तरांचल राज्य

अप्रेल 27, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जेजे]

दण्ड संहिता, 1860:

धारा 302-हत्या-दो व्यक्तियों ने पीड़ित को पकड़ा तीसरे ने उकसाया और अपीलार्थी ने चाकू से तीन वार किए, उनमें से एक उसके महत्वपूर्ण भाग पर वार करके पीड़ित की मृत्यु कारित की। निचली अदालत ने सही निर्धारित किया कि पीड़ित की मृत्यु प्रकृति के अनुक्रम में मानव हत्या थी और अपीलार्थी के कारण हुई थी। उसकी दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 302 में सजा यथावत रखी गयी। निचली अदालत की यह राय सही थी कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सामान्य इरादे का मामला नहीं बनाया गया था। उनकी दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा गया।

अपीलार्थी और तीन अन्य पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 'यू' ने 'एम' को 5 रूपये अग्रिम दिये थे। जब 'यू' ने 'एम' से उक्त राशि वापिस करने के लिए कहा तो

'एम' ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपीलार्थी की मां वहां आई और उकसाया जिसके बाद 'एम' और 'आर' ने 'यू' को पकड़ लिया और अपीलार्थी ने उस पर चाकू से तीन वार किए। पीड़ित कुछ दूर भागने के बाद नीचे गिर गया। पी.डब्ल्यू.4, पी.डब्ल्यू.7 व मृतक के पिता पी.डब्ल्यू.1 ने इस घटना को देखा जो बाजार से लौट रहे थे। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। निचली अदालत ने अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया और शेष तीन को यह मानते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं हो सका कि अपराध करने का उनका एक सामान्य आशय था। उच्च न्यायालय ने दोषी अभियुक्त की अपील को खारिज कर दिया, उन्होनें वर्तमान अपील दायर की।

अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्धारित किया।

1.1 चिकित्सकीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों की गवाही को देखते हुए, निचली अदालतों के निष्कर्षो से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि पीड़ित की हत्या मानव हत्या थी और अपीलार्थी के द्वारा कारित की गयी थी। (पैरा 6, 10 व 13) (829-एफ, 830-डी, जी)

1.2 घटना के लगभग तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। पी.डब्ल्यू.4, पी.डब्ल्यू.1 का रिश्तेदार है और वे बाजार से एक साथ वापिस आ रहे थे। दोनों ने पूरी घटना देखी थी और उन्होनें अभियोजन

पक्ष का समर्थन किया था। विचारण न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू.7 की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया गया, क्योंकि उसके द्वारा न्यायालय में दिये गये बयानों में कुछ तथ्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अनुसंधान अधिकारी को नहीं बताए गए थे। हालांकि इस संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्य गवाहों की गवाही पर भी अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है। (पैरा 9 और 8) (830-ए-सी)

2.1 यह दलील कि केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के तहत मामला बनाया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी एक बड़ा चाकू लेकर आया था। मृत्यु कारित करने का आशय या कारण ऐसी चोट पहुंचाने की इरादा, जिससे मृत्यु कारित होना संभावित हो, इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने पहला प्रहार निप्पल से 5 सेमी नीचे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर किया था। उसने एक के बाद एक तीन वार किए। उन्होंने अपने पद का अनुचित लाभ उठाया, क्योंकि मृतक दो अन्य अभियुक्तों के कब्जे में था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अवमूल्यन नहीं हुआ था या अपीलार्थी ने स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूरता का पूर्ण अभाव था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां मृतक की ओर से कोई उकसावे की कार्यवाही नहीं होने के कारण केवल

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के तहत अपराध बनता है। (पैरा 14, 16, 17 व 20) (830-एच, 831-डी, ई, जी)

2.2 विचारण न्यायाधीश की राय सही थी कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आशय का मामला नहीं बनाया पाया गया है, जैसा कि शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मृतक द्वारा 5 रुपये की मांग से संबंधित एक छोटा सा विवाद था और अपीलकर्ता के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। (पैरा 16) (831-सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 638/2007

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के आपराधिक अपील सं. 1281/2001 (पुराना नंबर 1442/1987) के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.06.2006 के विरुद्घ।

विनय सिंह, जे.पी. त्रिपाठी एवं वी.एन. रघुपति, अपीलार्थी की ओर से।

रीपक कंसल और जतिंदर कुमार भाटिया, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

1. एक उमरा ने 5 रुपये की छोटी राशि अग्रिम ऋण के माध्यम से मुल्ताना को दी। दिनांक 31.10.1985 की रात्रि लगभग 9 बजे उसने उसे

उक्त राशि वापिस करने के लिए कहा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, यह ज्ञात नहीं है। इस पर मुल्ताना ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। अपीलार्थी की माता बेचनी वहां आई और कहा "उमरा दो कौड़ी का लड़का है, इसको मिट्टी में मिला दो, मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी।" जिसके बाद मुल्ताना और रणजीत ने मृतक को पकड़ लिया। अपीलार्थी अपने साथ एक बड़ा चाकू लिए हुए था। उसने उक्त चाकू से मृतक पर तीन वार किए। मृतक अपने पेट को हाथों से दबाते हुए अपने घर की ओर भागा। वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता था। वह नीचे गिर गया। पी.डब्ल्यू.1 मृतक के पिता अमर सिंह जो पी.डब्ल्यू.4 के साथ अपने घर वापस आ रहे थे। बाजार से जीतसिंह ने पूरी घटना देखी। इसे पी.डब्ल्यू.7 बिरसा सिंह ने भी देखा था। मृतक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसे मृत घोषित कर दिया गया। अमर सिंह द्वारा देहरादून पुलिस स्टेशन में 10.40 पीएम पर उक्त घटना के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।

2. जांच पूरी होने पर चारों आरोपियों का आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलार्थी पर मृतक की "हत्या" का आरोप लगाया गया था। उसे दोषी ठहराया गया और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि अन्य तीन आरोपियों को विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उक्त

अपराध को अंजाम देने का उनका एक सामान्य ईरादा था। अपीलार्थी द्वारा उक्त दोषसिद्धी और सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, अपील को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित फैसले के कारण खारिज कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी हमारे सामने है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विनय सिंह इस अपील के समर्थन में प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन मामलें को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकिः

(I) चिकित्सकीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के विपरीत है, क्योंकि मृतक के पेट पर ना केवल चोट पाई गई बल्कि उसकी पीठ पर दो अन्य चोटें पाई गई।

(II) डॉक्टर के अनुसार एक से अधिक हथियारों का प्रयोग किया गया होगा।

(III) विचारण न्यायाधीश द्वारा पी.डब्ल्यू.7 बिसरा सिंह पर भरोसा नहीं किया गया। पी.डब्ल्यू.4 जीतसिंह ने केवल बिसरा सिंह को देखा था और किसी को नहीं। उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था।

(IV) किसी भी घटना में मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने का मामला नहीं बनाया गया है, लेकिन धारा 304 के दूसरे भाग के तहत एक अपराध के रूप में बनाया गया है (i) बिना किसी पूर्वचिंतन के (ii)

बिना किसी अनुचित क्रूरता के (iii) अचानक उकसावे पर और (iv) अपीलकर्ता की ओर से कोई अपमान नहीं किया गया था।

4. मृतक को अपीलार्थी के हाथों तीन चोटें लगी जो इस प्रकार हैः-

1. चार सेन्टीमीटर गुणा डेढ सेन्टीमीटर गुणा हदयगुहा गहरा छठी पसलियों के प्लूरा और पेरी कार्डियम आैर हृदय के शीर्ष को काटते हुए साफ कटे हुए किनारों वाला छिद्रित घाव। पेरी कार्डियल गुहा में 100 मिली लीटर रक्तः छाती के सामनें बायीं ओर बायें निपल से 06 सेमी नीचे। निपल लाईन से डेढ सेमी दूर।

2. पीछे के एक्सलरी फोर्ट से पांच सेमी नीचे पीठ के बाहरी भाग तक ढाई सेन्टीमीटर गुणा एक सेन्टीमीटर गहरा चीरा हुआ घाव।

3. छाती के पीछे उपर की ओर निर्देशित पांच सेमी गुणा दो सेमी गुणा सात सेमी गहरे साफ कटे किनारों के साथ छेदा हुआ घाव। जो पीठ की मासपेशियों, इन्टरकोस्टल मासपेशियों, फुस्फुस को काटता है और इसके नीचे हिस्से में फैफड़े के बायें उपरी लोब में दो सेमी छेद करता है। वक्षगुहा में एक लीटर तरल रक्त पाया गया।

5. पी.डब्ल्यू.2, डॉक्टर अजय कृष्ण जिन्होनें पोस्टमार्टम किया था, ने राय दी कि चोट संख्या 01 और 02 सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जहां तक चोट संख्या 03 का सवाल है, उनके अनुसार वह नीचे से उपर की ओर लगी थी।

6. डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि उपर बतायी गयी चोटें पहुंचाने में उनके अनुसार दो अलग-अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है।

"……चोट संख्या (ii) व (iii) एक उपकरण के कारण व विभिन्न उपकरणों से भी हो सकती है….."

7. हालांकि उन्होनें कहा कि चोट की लम्बाई व चैडाई उस बल पर निर्भर करेगी जिस पर हथियार का उपयोग किया गया था और यदि उपकरण का प्रहार हल्का है, तो यह गहरा नहीं जाएगा और उस स्थिति में चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक होगी।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग तुरंत बाद दर्ज की गई थी। पी.डब्ल्यू.1 ने अपने बयानों में पूरे तरीके से अभियोजन मामलें का समर्थन किया। पी.डब्ल्यू.4, पी.डब्ल्यू.1 का रिश्तेदार है। वे बाजार से एक साथ वापस आ रहे थे। दोनों ने पूरी घटना देखी। उन दोनों ने कहा कि जब रणजीत और मुल्ताना ने मृतक को पकड़ लिया, तो अपीलार्थी ने चाकू निकाल लिया और मृतक पर हमला कर दिया। हालांकि पी.डब्ल्यू.1 जब चिल्लाने लगा तब आरोपी फरार हो गया।

9. विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पी.डब्ल्यू.7 की गवाही पर भरोसा नहीं किया गया क्योंकि अदालत के समक्ष उसके द्वारा दिये गये कुछ बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत जांच अधिकारी के

समक्ष नहीं दिये गये थे। हालांकि उसके पक्ष में न्यायालय का दृष्टिकोण पूरे तरीके से सही नहीं हो सकता है, लेकिन इस मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों में हमारी राय है कि अन्य गवाहों की गवाही पर भी अभियोजन को अपना मामला साबित करने के लिए माना जा सकता है।

10. पी.डब्ल्यू.4 का यह बयान कि उसने बिरसा सिंह को अकेले देखा था, को उसके अन्य बयानों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

11. वह और पी.डब्ल्यू.1 एक साथ बाजार से वापिस आ रहे थे। जब उन्होनें अकेले बिरसा सिंह की उपस्थिति की बारें में कहा, तो उनका मतलब यह रहा होगा कि वह एकमात्र बाहरी व्यक्ति था, जो घटनास्थल पर मौजूद था और उन्होनें पूरी घटना को देखा था।

12. इस तथ्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सामने केवल एक चोट थी और पीठ पर दो चोटें, अभियोजन की कहानी के खिलाफ नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि एक चोट निप्पल से 5 सेमी नीचे थी और यदि पी.डब्ल्यू.1 द्वारा इसे पेट की चोट के रूप में वर्णित किया गया था और पी.डब्ल्यू.4 इसमें कोई गंभीर अपवाद नहीं लिया जा सकता, न तो पी.डब्ल्यू.1 और न पी.डब्ल्यू.4 ने कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक व्यक्ति को सामनें की तीनों चोटें पहुंचाई।

13. जो कहा गया था वह यह था कि चोटें एक के बाद एक दी गई थी (स्थानीय भाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘‘पलक झपकते‘‘ थी) ने उन्हे

आश्चर्यचकित कर दिया होगा। इसलिए हमें नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्षो से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है कि उमरा की मृत्यु प्रकृति में हत्या थी और अपीलार्थी के कारण हुई थी।

14. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के तहत विद्वान अधिवक्ता की दलील को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। चौथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 में प्रावधान है कि गैर इरादतन हत्या, हत्या नहीं होगी। यदि यह बिना किसी पूर्वचिंतन के अचानक हुए झगडे में, आवेश में आकर की गई हो और आरोपी ने क्रूर व असामान्य तरीके से काम नही किया हो।

15. उक्त प्रावधान का पहला घटक अर्थात पूर्व ध्यान की अनुपस्थिति हस्तगत मामलें में मौजूद है लेकिन यह नही कहा जा सकता है कि अचानक लडाई हुई थी कि इस अर्थ में मृतक सशस्त्र था या उसने कोई उत्तेजक बयान दिया था जैसा कि अभियोजन पक्ष की कहानी कहती है, यह मुल्ताना की मा थी जिसने उकसाया था। हम नही जानते कि क्या अवसर था।

16. विद्वान विचारण न्यायाधीश की राय सही थी कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आशय का मामला नहीं बनाया गया है, क्योंकि शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मृतक से उमरा द्वारा 5 रुपये की मांग से संबंधित एक छोटे से विवाद के कारण अपीलार्थी

के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालंकि अपीलकर्ता एक बड़ा चाकू लेकर आ रहा था, उसने एक के बाद एक लगातार तीन वार किए। उसने अपने पद का अनुचित लाभ उठाया, क्योंकि मृतक को दो अन्य आरोपियों ने पकड़ रखा था।

17. मृत्यु कारित करने और/या ऐसी चोट पहुंचाने का ईरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि पहला वार शरीर के महत्वपूर्ण भाग अर्थात निप्पल से 05 सेमी नीचे किया गया था।

18. दो अन्य वार पीठ के बाहरी हिस्से की तरफ तह के नीचे आैर छाती के पिछले हिस्से पर लगे होंगे, क्योंकि पहला वार लगने पर मृतक दर्द के कारण अपनी दाहिनी ओर चला गया होगा।

19. प्रहारों का प्रभाव ऐसा था कि वह कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ सका।

20. इसलिए हमारी राय है कि यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अवमूल्यन नहीं हुआ था या अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया था और/या क्रूरता का पूर्ण अभाव था। इसके अलावा हमारी राय यह है कि मृतक की ओर से कोई उकसावे की बात नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के तहत अपराध किया गया हो। अपील में उपरोक्त व्यक्ति को खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी परवीन बानो (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।